न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 4/2018/अपील

1. चांवलीदेवी पुत्री स्व. डूंगाराम
2. भंवरीदेवी पुत्री स्व. डूंगाराम
3. सुप्यारदेवी पुत्री स्व. डूंगाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण पितृगृह ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अपीलांट्स

ब ना म

1. श्रीलाल पुत्र स्व. डूंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम कुशालपुरा तन पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. मोती पुत्र स्व. डूंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम कुशालपुरा तन पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. सागर पुत्र स्व. डूंगाराम
4. चांवली पत्नि स्व. गोपाल
5. अर्जुन पुत्र स्व. गोपाल
6. महेन्द्र पुत्र स्व. गोपाल

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

7. संतरादेवी पुत्री स्व. गोपाल पत्नि सत्यपाल जाति जाट निवासी पितृगृह ग्राम पचार हाल ससुराल ग्राम डूंगरी कला तहसील किशनगढ–रेनवाल जिला जयपुर
8. गीतादेवी पुत्री स्व. गोपाल पत्नि बजरंगलाल जाति जाट निवासी पितृगृह ग्राम पचार हाल ससुराल ग्राम डूंगरी कला तहसील किशनगढ–रेनवाल जिला जयपुर
9. ग्राम पंचायत पचार पंचायत समिति, दांतारामगढ जिला सीकर जरिये सरपंच।

–रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 1054 दिनांकित 04.02.1995 बतस्दीक ग्राम पंचायत पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

उपस्थिति–

1. श्री रतनलाल पलसानियां वकील अपीलांट्स की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक– 03.10.2019

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स की पैत्रिक संयुक्त कब्जे काश्त एवं हक अधिकार की कृषि आराजियात हाल खसरा नम्बर 1510, 1511, 1661 किता 3 कुल रकबा 0.76 है व खसरा नम्बर 1537 ता 1542, 1544, 1636 ता 1638 किता 10 कुल रकबा 9.71 हैक्टर वाके ग्राम पचार पटवार हल्का पचार व हाल खसरा नम्बर 83 ता 85 किता 3 कुल रकबा 3.20 हैक्टर, ख0नं0 77, 78, 82, 86, 87, 90, 167 किता 7 कुल रकबा 35.21 हैक्टर राजस्व ग्राम कुशालपुरा पटवार हल्का पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की सरहद में अवस्थित है, जिनके साबिक खसरा नम्बर 20, ख0नं0 20मी., ख0नं0 436/1मी., ख0नं0 440, ख0नं0 441, ख0नं0 443, ख0नं0 445, ख0नं0 442, ख0नं0 448, ख0नं0 482, ख0नं0 482मी., ख0नं0 481मी. है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी एवं कब्जा काश्त अपीलांट के पिता स्व. डूंगा पुत्र मंगला का रहा है। अपीलांट्स स्व0 डूंगा की जायन्दा पुत्रियां है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व. डूंगा की वैद्य वारिशान/उत्तराधिकारिनी है किन्तु अपील वर्णित भूमियों का खातेदार डूंगा फौत होने पर रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 3 व 4 लगायत 8 के पूर्वज स्व. गोपाल ने रेस्पोडेन्ट संख्या 9 सें साज कर चुनौतीग्रस्त नामांतकरण अपने नाम सें तस्दीक करवा लिया जो नामांतरण निम्न कारणों सें अपीलांट के वैद्य अधिकारों के विरूद्ध निरस्त किये जाने योग्य है– 1. अपीलाधीन कृषि आराजियात अपीलांट्स की पैत्रिक संयुक्त कब्जेकाश्त एवं हक अधिकारों की भूमियां है जिनमें अपीलांट्स का अपने पिता के जीवनकाल सें ही कब्जा काश्त एवं हक हिस्सा है, इसलिए चुनौतीग्रस्त नामांतरण निरस्त किये जाने योग्य है। 2. अपीलांट्स डूंगा की जायन्दा पुत्रियां होने सें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व. डूंगा की वैध वारिशान है तथा कानूनन रूप सें स्व. डूंगा की सम्पति में पुत्रों के समान अंश दायिनी होने सें चुनौतीग्रस्त नामांतकरण निरस्त

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

किये जाने योग्य है। 3. चुनौतीग्रस्त नामांतकरण बिना वारिशान की जांच किये एवं बिना कब्जे की जांच किये दर्ज किया गया है, इसलिए भी चुनौतीग्रस्त नामांतकरण बिना विधिक प्रकिया अपनाकर दर्ज किये जाने सें निरस्त किये जाने योग्य है। 4. चुनौतीग्रस्त नामांतकरण बिना प्राकृतिक सिद्धांतों की पालना किये दर्ज किये जाने सें चुनौतीग्रस्त नामांतकरण निरस्त किये जाने योग्य है। 5. अपीलांट्स स्व. डूंगा की जायन्दा पुत्रियां होने सें प्रभावित पक्षकार है तथा नामांतकरण दर्ज करते समय अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा न ही किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया अतः चुनौतीग्रस्त नामांतकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अपलांट्स जब अपनी संयुक्त कब्जे काश्त एवं हक अधिकार की कृषि आराजियात की साज सम्भाल करने गई तो रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 लगायत 6 ने धमकी दी कि उक्त भूमियों में सें आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि इन भूमियों में सें आपका नाम तो हम डूंगा पुत्र मंगला की विरासत दर्ज करते समय ही रेस्पोडेन्ट संख्या 9 सें मिलकर हटवा चुके है तब अपीलांट्स द्वारा दिनांक 16.04.2018 को तहसील कार्यालय में अपने पिता की विरासत के नामांतरण की नकल प्राप्त करने पर चुनौतीग्रस्त नामांतकरण में अपीलांट्स का नाम अंकित न किये जाने की जानकारी हुई है इसलिए जानकारी सें हस्तगत अपील दफा 5 का आवेदन पृथक सें प्रस्तुत कर अंदर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि उक्त वर्णित भूमियों के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ग्राम पंचायत पचार द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1054 दिनांकित 04.02.1985 को निरस्त फरमाया जाना सादर प्रार्थनीय है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपील पर बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि अपीलाधीन नामांतकरण गलत तरीके सें बिना वारिशान की जांच

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

किये तथा कब्जे की जांच किये तथा अपीलांट्स को नोटिस जारी किये बगैर तस्दीक किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः ग्राम पंचायत पचार द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1054 दिनांकित 04.02.1985 को निरस्त फरमाया जावें।

3. हमने वकील अपीलान्ट्स की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन सें स्पष्ट है कि स्व. डूंगा पुत्र मंगला की विरासत में उसकी पुत्रियों अर्थात अपीलांट्स का आवश्यक हित निहित है तथा अपीलांट्स स्व. डूंगा पुत्र मंगला की विधिक वारिशान/उत्तराधिकारिनी है एवं ग्राम पंचायत पचार द्वारा तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामांतकरण बिना विधिक वारिशान की जांच किये तस्दीक किया गया है जो निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स के हित निहित को देखते हुए अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है अपीलाधीन नामांतरण संख्या 1054 दिनांक 04.02.1985 द्वारा ग्राम पंचायत पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पुनः सही तरीके सें विधिवत वारिशान की जांच कर स्व. डूंगा पुत्र मंगला की विरासत का नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावे।

पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner